महत्वपूर्ण एवं खास

आंगनबाड़ी में रिक्त पदों के लिए अनंतिम सूची जारी

4 सितम्बर तक मंगाए गए दावा-आपत्ति

रायगढ़। एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ (ग्रामीण)अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र कोटमार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के एक पद एवं आंगनबाड़ी केन्द्र नंदेली क्रमांक 3/केनाडीपा बायंग, डोंगरीपारा कांटाहरदी, कांटाहरदी क्रमांक 1 में आंगनबाड़ी सहायिका के एक-एक पद के लिए गत दिवस आवेदन पत्र मंगाए गए थे। प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन समिति द्वारा परीक्षण कर प्राविधिक/अनंतिम मूल्यांकन सूची तैयार कर कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है। उक्त सूची के संबंध में किसी भी आवेदिका को कोई आपत्ति हो तो वे 4 सितम्बर 2024 सायं 5.30 बजे तक लिखित में दावा-आपत्ति आवेदन परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ (ग्रामीण)कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति मान्य नहीं किया जाएगा।

जिले में 759.7 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज

रायगढ़। चालू वर्षा मौसम में रायगढ़ जिले में 23 अगस्त तक 759.7 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 4.2 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 926.5 मिली मीटर, पुसौर में 855.7, खरसिया में 730.2, घरघोड़ा में 756.9, तमनार में 715, लैलूंगा में 660.9, मुकडेगा में 701.2, धरमजयगढ़ में 612.1 छाल में 805.1 एवं कापू में 833.5 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश हेतु आयोजित प्राक्चयन परीक्षा परिणाम घोषित

रायगढ़। प्रयास बालक/ कन्या आवासीय विद्यालयों के कक्षा 11 वीं में लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश हेतु 21 जुलाई को आयोजित प्राक्चयन परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। जिसे वेबसाईट http://eklavya.cg.nic.in पर अवलोकन हेतु अपलोड किया गया है।

26 अगस्त शुष्क दिवस घोषित

रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी)विभाग, मंत्रालय रायपुर द्वारा जारी आदेश के तहत कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 26 जनवरी 2024 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त शुष्क दिवस पर रायगढ़ जिले की समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2 घघ), कम्पोजिट मदिरा (सी.एस.-2 घघ), विदेशी मदिरा (एफ.एल.-1 घघ)दुकान, अहाता, एफ.एल.3 होटल बार एवं मद्य भाण्डागार पूर्ण रूप से बंद रहेगा। उक्त शुष्क दिवस को मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।

मेहमान प्रवक्ता के लिए सारंगढ़ आईटीआई में 30 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़। जिले के शासकीय आईटीआई सारंगढ़, सरिया और भटगांव में वेल्डर और फिटर के मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लेक्चरर) के 5 रिक्त पद के लिए जिले के नोडल शासकीय आईटीआई सारंगढ़ में योग्य उम्मीदवार 30 अगस्त 2024 की शाम 5 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं या स्पीड पोस्ट-पंजीकृत डाक से आवेदन पत्र भेज सकते हैं। शासकीय आईटीआई सरिया में वेल्डर के एक पद, सारंगढ़ और भटगांव के आईटीआई में फिटर और वेल्डर के क्रमशः 1-1 पद रिक्त हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी शासकीय आईटीआई सारंगढ़ के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है।

प्राथमिकता से करें डायवर्सन भू-भाटक की वसूली -कलेक्टर

- आदेश पारित होने के पश्चात तेजी से करें अभिलेख दुरूस्ती का कार्य
- आरबीसी 6-4 के प्रकरणों का त्वरित निराकरण के दिए निर्देश
- स्कूली बच्चों का शत-प्रतिशत बनाए जाति प्रमाण पत्र
- कलेक्टर गोयल ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने शाला भवन उपकर, पंचायत उपकर, डायवर्सन भू-भाटक वसूली की समीक्षा करते हुए कहा कि डायवर्सन भू-भाटक वसूली अपेक्षाकृत कम है, सभी राजस्व अधिकारी भू-भाटक वसूली के कार्य को कार्ययोजना बना कर प्राथमिकता के साथ करें। बैठक में उन्होंने अविवादित, विवादित नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, भू-अर्जन जैसे विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा करते हुए राजस्व अधिकारियों को सभी राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव भी उपस्थित रहे।

कलेक्टर गोयल ने कहा कि तहसीलवार नक्शा बटांकन के कार्य में लक्ष्य अनुरूप बेहतर प्रगति आयी है। उन्होंने भू-अर्जन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि अवार्ड पारित होने के पश्चात रिकॉर्ड दुरुस्ती का कार्य प्राथमिकता से करने एवं प्रगति लाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने आरबीसी 6-4 के प्रकरण की समीक्षा करते हुए कहा कि जनहानि के सभी प्रकरण निर्धारित समयावधि में निराकरण सुनिश्चित करें। इसके साथ ही वारिसानों के नाम एवं उनके रिश्ते स्पष्ट लिखने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने नजूल पट्टों के नवीनीकरण हेतु नोटिस देने एवं प्रकरण दर्ज करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वामित्व योजना के तहत स्थल सत्यापन की जानकारी लेते हुए कहा कि तहसीलों को प्राप्त नक्शे का एक सप्ताह के अन्दर डाउट क्लीयर करने एवं लक्ष्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर गोयल ने सभी राजस्व अधिकारियों को उनके अनुभाग में कालोनाइजर द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण पर कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्रों के वितरण एवं वितरित वन अधिकार मान्यता पत्र की आनलाइन एन्ट्री में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर गोयल ने ज्ञात, अज्ञात वाहन दुर्घटना की जानकारी लेते हुए मुआवजा वितरण की जानकारी ली। उन्होंने आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एवं किसान किताब प्रविष्टि की भी समीक्षा की।

इस दौरान एडीएम संतन देवी जांगडे, अपर कलेक्टर राजीव कुमार पाण्डेय, एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार एवं राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

स्कूली बच्चों का शत-प्रतिशत बनाए जाति प्रमाण पत्र

कलेक्टर गोयल ने कहा कि जिले के प्रत्येक स्कूली बच्चों का शत-प्रतिशत जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए। इसके लिए सभी एसडीएम स्कूल समन्वयक एवं पटवारियों की बैठक लेकर, शाला प्रवेशी विद्याधियों की स्कूलवार डाटा मंगवाकर कक्षा पहली से बारहवी तक के विद्याधियों के जाति के साथ आय, निवास प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए। जिससे विद्यार्थियों के स्कूली शिक्षा के पश्चात कालेज एवं नौकरियों के लिए बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

अपने अनुविभाग में स्थित शासकीय संस्थानों का करें निरीक्षण

कलेक्टर गोयल ने सभी राजस्व अधिकारियों को उनके अनुविभाग में स्थित स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, शासकीय उचित मूल्य दुकान एवं आंगनबाड़ी केन्द्र जैसे विभिन्न शासकीय संस्थानों के निरीक्षण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान वे जन सामान्य से संस्थानों के संबंध में फीडबैक भी ले। जिससे सुविधाओं को और बेहतर किया जा सके।

स्कूली समय में अनुपस्थित रहकर गैर शिक्षकीय कार्यों में संलग्न शिक्षकों पर करें कार्यवाही

कलेक्टर गोयल ने कहा कि जिले के विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों द्वारा स्कूली समय में अनुपस्थित रहकर गैर शिक्षकीय कार्यों में संलग्न हो रहे है, यह अच्छी बात नहीं है। इससे विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को ऐसे शिक्षकों का चिन्हांकन कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।

छेड़खानी का फरार आरोपी गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस ने भेजा रिमांड पर

रायगढ़

दिनांक 21 जुलाई 2024 को थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बालिका के साथ पड़ोस के युवक द्वारा छेड़छाड़ किया गया। बालिका की मां ने 23 जुलाई 2024 को थाने आकर इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।

रिपोर्ट के अनुसार, 21 जुलाई की रात करीब 10 बजे विजय कुमार खांडेल उर्फ बिट्टू बघेल (30 साल) ने बालिका को उसके घर के बाहर छेड़खानी किया। बालिका भागकर घर आई और अपनी मां को घटना के बारे में बताया। बालिका की माता ने तुरंत आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह नाले में कूदकर फरार हो गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपित पर अप.क्र. 454/2024 धारा 74, 78, 79 BNS 8, 12 Pocoso Act कायम कर थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल द्वारा जांच प्रारंभ कर हमराह स्टाफ के साथ आरोपी की धर पकड़ के लिए दबिश दिया गया । घटना के बाद से आरोपित फरार था। टी सुखनंदन पटेल तथा महिला उप निरीक्षक दीपिका निर्मलकर द्वारा आरोपित की सूचना देने मुखबीर लाया गया था। आज विवेचना के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपी विजय कुमार खांडेल उर्फ बिट्टू बघेल को ढिमरापुर चौक पर SI दीपिका निर्मलकर द्वारा गिरफ्तार कर थाना लाया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसकी पत्नी को दे दी गई और आरोपित को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

प्रयोगशाला सहायक और तकनीशियन परीक्षा 25 अगस्त को

- पहचान पत्र से ही केन्द्र में मिलेगा प्रवेश

रायगढ़

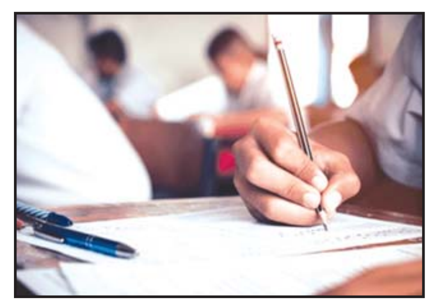

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा 25 अगस्त 2024 को रायगढ़ जिला मुख्यालय में प्रयोगशाला सहायक और तकनीशियन परीक्षा आयोजित किया जायेगा। परीक्षार्थी व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते है। प्रयोगशाला सहायक की परीक्षा प्रात: 10 बजे से 12.15 बजे तक एवं प्रयोगशाला तकनीशियन की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4.15 बजे तक सम्पन्न होगी। रायगढ़ जिले के अंतर्गत प्रात: की पाली में 21 परीक्षा केंद्र एवं शाम की पाली में 17 परीक्षा केंद्र बनाये गये हैं। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटे पूर्व प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे एवं परीक्षा प्रारंभ होने की 15 मिनट के बाद परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

मूल परिचय पत्र एवं प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य

सभी परीक्षार्थी अपना फोटो युक्त मूल आईडी जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, विद्यालय के फोटो परिचय पत्र, फोटो युक्त अंकसूची, बोर्ड परीक्षा के लिए जारी फोटोयुक्त प्रवेश पत्र आदि लेकर आना अनिवार्य होगा। ध्यान रखें फोटोकॉपी या मोबाइल में परिचय पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे। परीक्षा दिवस को परीक्षा केंद्र पर उपरोक्त मूल पहचान पत्र में से कोई एक पहचान पत्र लेकर आना अनिवार्य होगा। मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी परीक्षार्थी अपने साथ व्यापम द्वारा जारी प्रवेश पत्र व्यापम की वेबसाइट में जाकर प्रिंट आउट निकाल सकते है जिसे लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना आवश्यक होगा। ध्यान रखें इसमें से व्यापम की प्रति परीक्षा केंद्र में जमा करनी होगी। परीक्षार्थी अपने साथ ओएमआर शीट लिखने के लिए नीले एवं काले रंग का बालपॉइंट पेंन लेकर उपस्थित होना हैं। परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, कैलक्यूलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री लेकर आना मना है।

परीक्षा केंद्र की कर लें पूर्व जांच

सभी परीक्षार्थियों को अपने प्रवेश पत्र में दर्शित केंद्र को जाकर लोकेशन अवश्य देख लेनी चाहिये एवं समय पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो जायें, गलत परीक्षा केंद्र में शामिल होने की स्थिति में ओएमआर शीट की जांच नहीं हो पायेगी।

नोडल अधिकारी नियुक्त

प्रयोगशाला शाला सहायक और तकनीशियन परीक्षा के सफल संचालन के लिये कलेक्टर द्वारा महेश शर्मा डिप्टी कलेक्टर रायगढ़ मोबाइल नम्बर 77468-9383 को नोडल अधिकारी एवं भुवनेश्वर पटेल सहायक परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा मोबाइल नम्बर 70000-81311 को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है।

ग्राम कया में महिला की हत्या का फरार आरोपित गिरफ्तार, घरघोड़ा पुलिस ने भेजा रिमांड पर

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन एवं एडिशनल एसपी आकाश मरकाम व एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन पर गंभीर मामलों के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए घरघोड़ा पुलिस मुखबीर लगाकर लगातार दबिश दे रही है, जिसमें आज हत्या के फरार आरोपी जगनंदन राठिया को घरघोड़ा क्षेत्र में गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है।

घटना विवरण -

जानकारी के अनुसार पिछले साल 7 जुलाई की रात ग्राम कया में भगवती राठिया (64 वर्ष) अपनी मौसी रुकी राठिया के घर आयी थी। दोनों ने साथ में खाना खाये और घर के बाहर सो गई। उसी दौरान, फुलसिंह राठिया, जगनंदन राठिया और एक नाबालिग बालक घर में घुस आये और भगवती राठिया पर बांस के डंडे, लकड़ी से मारपीट शुरू कर दिया रुकी राठिया ने चीख-पुकार मचाई और लोगों को बुलाया। लेकिन तब तक भगवती राठिया की मृत्यु हो चुकी थी।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतिका के शव पंचानामा कर शव का पोस्टमॉर्टम करवाया गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई। थाना घरघोड़ा के अपराध क्रमांक 265/2023 धारा 450, 302, 34 आईपीसी में विवेचना के दौरान पुलिस ने फुलसिंह (उम्र 45 वर्ष) साकिन देवना ग्राम पंचायत कया थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ और विधि के साथ संघर्षरत बालक को हत्या के अपराध में कोर्ट पेश कर रिमांड लिया गया। तीसरा आरोपी, जगनंदन राठिया, फरार हो गया था। मामले में आरोपित के फरार में रहने पर घरघोड़ा पुलिस द्वारा धारा 173(8) द.प्र.सं. के तहत् कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार आरोपियों के विरूद्ध चालान पेश किया गया था। थाना प्रभारी भरपुर निरीक्षक अमित तिवारी के नेतृत्व में आज दोपहर मामले के फरार आरोपित जगनंदन राठिया पिता सकल सिंह राठिया उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम कया, थाना घरघोडा को घरघोड़ा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

पैसे लेन-देन के विवाद पर खलासी ने ड्रायवर को कुल्हाड़ी से मारा, अस्पताल ले जाते समय ड्रायवर की मौत, आरोपी पुलिस हिरासत में

- थाना पूंजीपथरा क्षेत्र अंतर्गत एसएस ऑक्सीजन प्लांट के लेबर कॉलोनी की घटना

रायगढ़

दिनांक 22 अगस्त 2024 की रात एसएस ऑक्सीजन प्लांट के लेबर कॉलोनी में मारपीट की घटना घटित हुई, जिसमें 26 वर्षीय विरेन्द्र खम्हारी को उसके साथी आरोपित सूरज राठिया ने टांगी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके मेडिकल कॉलेज ले जाते समय मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक राकेश मिश्रा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि विरेन्द्र खम्हारी निवासी लुकापारा सरिया जो प्लांट में पिकअप चालक था और सूरज राठिया, जो खलासी का काम करता था, दोनों लेबर कॉलोनी में अलग-अलग क्वार्टर में रहते थे। दोनों के बीच अच्छे संबंध थे। घटना के दिन विरेन्द्र ने सूरज से पैसे उधार मांगा। इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके परिणामस्वरूप सूरज ने टांगी से विरेन्द्र पर हमला कर दिया। हमले के बाद सूरज राठिया फरार हो गया। वहीं, विरेन्द्र को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया।

निरीक्षक राकेश मिश्रा द्वारा वस्तुस्थिति से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की। फरार आरोपी सूरज राठिया अपने क्वार्टर में सामान लेने वापस आया था, तभी पुलिस ने उसे घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपित सूरज राठिया पिता बंधन राठिया उम्र 20 साल, आमागांव थाना धरमजयगढ़ ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बताया कि विरेन्द्र के पैसे मांगने के कारण विवाद हुआ था, जिसके चलते उसने विरेन्द्र पर हमला किया। आरोपी सूरज राठिया को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। आरोपी को जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा।

नेशनल हाईवे में ब्लाईंड स्पॉट्स पर उठाएं एहतियाती कदम, आवारा पशुओं को रेडियम बैंड लगाने व टैगिंग के दिए निर्देश

- किरायेदारों के सत्यापन के लिए चलाएं अभियान-कलेक्टर कार्तिकेया गोयल
- जिले में व्यापक स्तर पर चलेगा साईबर जागरुकता अभियान, कलेक्टर गोयल ने किया निर्देशित
- नशीली दवाओं की अवैध बिक्री के विरुद्ध अभियान में तेजी लाने किया गया निर्देशित
- कलेक्टर कार्तिकेया गोयल व पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने ली लॉ एण्ड आर्डर को लेकर समीक्षा बैठक

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल व पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के सभी एसडीएम व एसडीओपी के साथ अन्य विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। कलेक्टर गोयल ने कहा कि जिले में बाहर से आए श्रमिकों और किरायेदारों का सत्यापन किया जाना है। चूंकि रायगढ़ एक सीमावर्ती जिला है ऐसे में यहां पड़ोसी राज्यों से भी लोगों की आवाजाही होती है। कानून व्यवस्था के लिहाज से सभी एसडीएम और पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र में किरायेदारों का सत्यापन अनिवार्य रूप से करवाएं। इसके लिए मकान मालिकों को भी जागरूक किया जाए। प्लांट्स में जो गाडियां लग रही हैं वहां ड्राइवर्स के बारे में सभी पुख्ता जानकारी जरूर होनी चाहिए। सीजीएम उद्योग और प्रबंधन विभाग को सभी उद्योगों प्रबंधन को इस दिशा में जानकारी रखने के लिए निर्देशित करने के लिए कहा गया। पुलिस विभाग को वांछनीय जानकारी के लिए प्रपत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर गोयल ने मुखबिर तंत्र को मजबूत रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय स्तर पर गांवों में बाहरी व्यक्ति के आकर निवास करने वालों की जानकारी जुटा रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मामलों को लेकर भी पूरी सतर्कता बरती जाए। इसमें सूचना व्यवस्था की भूमिका अहम है। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों का प्राथमिक दायित्व जिले में शांति व्यवस्था बनाकर रखना है।

कलेक्टर गोयल ने सभी अस्पतालों के फायर ऑडिट की जांच करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही रायगढ़ जिले की ऊंची बिल्डिंग्स की सूची तैयार कर उनके भी फायर ऑडिट की जांच के निर्देश दिया गया। कलेक्टर गोयल ने नेशनल हाईवे में ब्लाइंड स्पॉट्स के आस पास एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए। ब्लाईंड स्पॉट्स के पास अवैध कब्जा है उसे हटाने के लिए सभी एसडीएम को निर्देशित किया। पशुपालन विभाग द्वारा सड़कों पर विचरण करने वाले आवारा पशुओं पर कार्यवाही के बारे में जानकारी ली गई। पशुपालन विभाग के अधिकारी ने बताया कि बधियाकरण और टैगिंग व रेडियम बैंड लगाया जा रहा है। कलेक्टर गोयल ने नेशनल हाईवे में विशेष रूप से रेडियम बैंड लगाने के निर्देश दिए। खनिज विभाग को अवैध परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्यवाही जारी रखने के लिए कहा गया।

साइबर फ्रॉड को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। अपराधी नए-नए तरीके से लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं। इसको लेकर जमीनी स्तर तक जागरूकता फैलानी बेहद जरूरी है। कलेक्टर गोयल ने पुलिस विभाग की 'साइबर सुबह' अभियान से सभी अधिकारियों को जुड़ते हुए साइबर फ्रॉड से बचने के तरीकों का व्यापक रूप से प्रचार किया जाए। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने जिले में वाहनों के लिए जारी होने वाले पीयूसी सर्टिफिकेट को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में पर्याप्त संख्या में पीयूसी सर्टिफिकेट जारी करने वाले स्थिर व चलित केन्द्र संचालित करने के निर्देश दिए। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि पीयूसी केन्द्र के लिए प्रस्ताव मंगाए गए है। कलेक्टर गोयल ने यातायात विभाग को इस दिशा में सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिए।

बैठक में एडीएम संतन देवी जांगड़े, अपर कलेक्टर राजीव कुमार पाण्डेय, एडिशनल एसपी आकाश मरकाम, डीएसपी अभिनव उपाध्याय सहित सभी एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार, थाना प्रभारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

नशीली दवाओं के विरूद्ध विभाग संयुक्त दल बनाकर करें कार्यवाही- नशीली दवाओं को लेकर प्वाइंटर कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने दिए। उन्होंने कहा कि काउंटर से प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही मिलने वाली दवाओं के अवैध रूप से बिक्री पर संयुक्त दल बनाकर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। आबकारी विभाग और पुलिस विभाग को अवैध शराब बिक्री पर कार्यवाही के संबंध में जानकारी ली गई। कलेक्टर गोयल ने कहा कि आबकारी प्रावधानों के तहत अवैध शराब के बिक्री पर कार्यवाही की जाए।

विस्फोटक भंडारण व परिवहन की नियमित रूप से जांच के निर्देश- कलेक्टर गोयल ने जिले में विस्फोटक के भंडारण और परिवहन की जांच के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विस्फोटकों के जांच की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने इसके लिए जारी लाइसेंस की शर्तों के पालन के लिए लाइसेंसधारियों को पत्र लिखने के निर्देश दिए। विस्फोटक के भंडारण और परिवहन की सूचना उस क्षेत्र के एसडीएम और पुलिस थाना में दिए जाने के निर्देश दिए। कानून व्यवस्था की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने इसके लिए पुलिस, संबंधित विभाग, खदान प्रबंधन और विस्फोटक के भंडार और परिवहनकर्ताओं की एक संयुक्त सेमिनार बुलाकर लोगों को विस्फोटक को लेकर रखी जाने वाली सावधानियां और इस संबंध में कानूनी प्रावधान की जानकारी देने के निर्देश दिए।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480